



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

24 अग्रहायण 1947 (श 0)

(सं० पटना 1774) पटना, सोमवार, 15 दिसम्बर 2025

सामान्य प्रशासन विभाग

आदेश

14 दिसम्बर 2025

सं० 6/आ.-13/2024-23267/सा.प्र.-श्री संजीव हंस, भा.प्र.से.(बिहार:1997) के विरुद्ध प्रवर्तन निदेशालय, भारत सरकार, पटना के पत्र सं०-ECIR/PTZO/04/2024/714 दिनांक-20.08.2024 के जाँच प्रतिवेदन के आलोक में आई.पी.सी.-1860 की धारा-120(बी.), 420 और भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा-61 r/w 318(4) तथा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (संशोधित, 2018) की धारा-7 r/w 12 r/w 13(2) r/w 13(1)(a) and 13(1)(b) के तहत विशेष निगरानी इकाई, पटना द्वारा थाना कांड संख्या-05/2024 दिनांक-14.09.2024 आपराधिक कांड दर्ज किया गया। प्रवर्तन निदेशालय, भारत सरकार से धन शोधन निवारण अधिनियम-2002 की धारा-4 के अंतर्गत प्राप्त अभियोजन स्वीकृति के प्रस्ताव के आलोक में दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा-197 के प्रावधानों के तहत विधि विभाग, बिहार, पटना के आदेश सं०-62 दिनांक-10.03.2025 द्वारा अभियोजन की स्वीकृति प्रदान की गयी।

- उपर्युक्त मामले में प्रवर्तन निदेशालय, भारत सरकार, पटना के पत्र दिनांक-12.12.2024 द्वारा प्राप्त सूचना के अनुसार श्री हंस को Prevention of Money Laundering Act, 2002 की धारा-4 के तहत दिनांक 18.10.2024 को गिरफ्तार किया गया था। तत्पश्चात, श्री संजीव हंस, भा.प्र.से.(बिहार:1997) को अखिल भारतीय सेवाएँ (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1969 के नियम-3 के उप नियम-2 एवं 3 के तहत सामान्य प्रशासन विभाग

के आदेश ज्ञापांक—20758 दिनांक—27.12.2024 द्वारा दिनांक—18.10.2024 के प्रभाव से अगले आदेश तक निलंबित किया गया।

3. प्रवर्तन निदेशालय, भारत सरकार, पटना के पत्र सं०—ECIR/PTZO/04/2024/714 दिनांक 20.08.2024 के जाँच प्रतिवेदन के आलोक में दर्ज विशेष सतर्कता इकाई, पटना थाना कांड सं०—05/2024 दिनांक—14.09.2024 से संबंधित Cr.W.J.C सं०—22880/2025 में माननीय उच्च न्यायालय, पटना के न्यायादेश दिनांक—16.10.2025 द्वारा श्री संजीव हंस को जमानत दिये जाने के आलोक में दिनांक—17.10.2025 को कारा संसीमन से मुक्त होने के उपरांत श्री हंस द्वारा दिनांक—17.10.2025 को सामान्य प्रशासन विभाग में योगदान समर्पित किया गया।
4. अतएव, अखिल भारतीय सेवाएँ (अनुशासन एवं अपील) नियमावली—1969 के नियम—3 के उपनियम—7 में निहित प्रावधानों के आलोक में दिनांक—17.10.2025 के प्रभाव से श्री संजीव हंस, भा.प्र.से. (बिहार : 1997) को निलंबन से मुक्त करते हुए दिनांक—17.10.2025 से उनका योगदान स्वीकृत किया जाता है।
5. साथ ही, प्रासंगिक मामले में श्री हंस के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही प्रारंभ करने का निर्णय भी लिया गया है।

बिहार—राज्यपाल के आदेश से,
सदन कुमार झा,
सरकार के अवर सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 1774-571+10-डी0टी0पी0।
Website: <https://egazette.bihar.gov.in>